कार्यालय लोक सूचना अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर हनुमानगढ

प्रकरण संख्या 17/2018 सूचना के अधिकार के अन्तर्गत

श्री बजरंग मेघवाल पुत्र श्री लीलूराम, सामाजिक एवं आरटीआई कार्यकर्ता वी.पी.ओ. झांसल तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
——अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ।
——प्रत्यार्थी

आदेश दिनांकः—17.04.2018

यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी एवं अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ के विरूद्ध प्राप्त हुई।

अपीलार्थी उपस्थित नही। अपील में अंकित तथ्यो के अनुसार अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकारी अधिनियम के तहत लोक सूचना अधिकारी एवं अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ से चाही गई सूचना नही मिलने पर अपीलार्थी द्वारा सूचना दिलवाने हेतु यह अपील की गई है।

लोक सूचना अधिकारी एवं अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ से पत्र कमांक 425 दिनांक 27.03.2018 द्वारा जबाव प्राप्त हुआ जिसकी प्रतिलिपि अपीलार्थी को सूचनार्थ प्रेषित किया जाना पाया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया। लोक सूचना अधिकारी एवं अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ के उक्त पत्र के साथ संलग्न पत्र कमांक 275 दिनाक 21.02.2018 की फोटो कापी का अवलोकन करने से उनके द्वारा अपीलार्थी का सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी एवं जिला पुलिस अधीक्षक हनुमानगढ को अंतरित करते हुए जिसकी सूचना अपीलार्थी को प्रेषित किया जाना पाया गया। पुलिस विभाग के लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत सूचना उपलब्ध नही करवाये जाने पर/सूचना से असन्तुष्ट होने पर पुलिस विभाग के सक्षम लोक सूचना अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील करने के लिए स्वतंत्र है। अपीलार्थी को इस अपील में कोई अनुतोष नही दिया जा सकता है। उक्त विवेचनानुसार अपीलार्थी की अपील अस्वीकार की जाती है। आदेश की प्रति दोनो पक्षो को भेजी जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफतर की जावे।

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
एवं जिला कलक्टर
हनुमानगढ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official